

2021/303

कैम्प दिनांक 08/12/2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प काकरासि

**-:आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी काकरासि व भूअनि श्रीमान  
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली / नायब तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साभरवाड़ा तहसील बाली व जिला पाली  
की जमावन्दी सन्वत् 1276-2079 में खाता संख्या 55 में वर्तमान में दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>साभरवाड़ा</u>	<u>55</u>	<u>सकाराम पुत्र लाल</u>	<u>चम्पालाल / लालाराम</u>



([Signature])  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
बाली (जिला - पाली) राज.

क्रमांक :- PGKS/21/411-12

दिनांक :- 8-12-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री चम्पालाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

([Signature])  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बाली (जिला - पाली) राज.